22/8/22 पत्रावली अभि वादीगण के आरा शीघ्र सुनवाई एवं पत्रावली को आज तलब किये जाने के प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जाने उपरान्त पूर्व पेशी दिनांक 22/9/22 से आज तलब की गई इस प्रार्थना पत्र से सर्वविदित मूल वाद को परिए विद्वा खारिज किया जा चुका है अतः मूल वाद के खारिज हो जाने से इस प्रार्थना पत्र का अगि चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है लिहाजा इस पत्रावली को परिए विद्वा खारिज किया जाता है पत्रावली के तत्काल शुमार होकर फिल नम्बर से कम होने पर वापसी पक्षकार हो.

चन्द्र शर्मा
अंजू शर्मा
कविता शर्मा
Jan 22/8/2022
22/8/2022
पवन कुमार शर्मा

26
उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned by CamScanner